न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—121/2016/225 (2016/00121)

1. छगना पुत्र नारायण,
2. रामचन्द्र पुत्र नारायण,
3. रामधन पुत्र नारायण,
4. मोहन पुत्र नारायण,
5. मिश्री पुत्र सुगना,
6. कानाराम पुत्र सुगना,
7. रतनलाल पुत्र सुगना,
8. नन्दलाल पुत्र भंवरलाल,,
9. रामनिवास पुत्र भंवरलाल,

समस्त जाति धोबी, निवासी ग्राम दादिया, तह0 अराई, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई, जिला अजमेर ।
2. जिहला कलक्टर, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 25.1.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 137/2015.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र कुमार चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः—1.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 25.1. 2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तअधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात ग्राम छोटा लाम्बा तहसल अरांई में खसरा नंबर 1515, 1523, 1525, 1705, 1709, 1711 कुल रकबा 51 बीघा 1 बिस्वा भूमि अवस्थित है जिस पर अपीलांटस पीढियों से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त आराजियात संयुक्त रूप से एक चक के रूप में है तथा अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से कृषि कार्य करे चले आ रहे है । अपीलांटस की उक्त आराजियात में कोई रास्ता अवस्थित नहीं है तथा रेस्पो0 संख्या 1 अपने प्रभाव का प्रयोग कर कुछ लोगों के साथ मिलकर राजनैतिक दबाव के कारण अपीलांटस की खातेदारी की आराजियात में जबरन तरीके से जे0सी0बी0 चलाकर रास्ता निकालने पर सख्त आमादा है । इस कारण रेस्पो0/प्रतिवादीगण को वाद के विचाराधीन रहते जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना

पत्र दिनांक 16.12.2015 को दर्ज रजिस्टर कर केवल मात्र नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर दिए । तत्पश्चात् दिनांक 28.12.2015 की पेशी पर भी कोई न्यायोचित आदेश प्रदान नहीं किये जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे हाजा न्यायालय द्वारा आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को एक माह में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण में नियत दिनांक 25.1.2016 तक भी कोई समुचित आदेश पारित नहीं किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का प्रार्थना पत्र होता है जिसमें न्यायालय को शीघ्र अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान करने की अपेक्षा होती है । अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व विपक्षी को सुना जाना आवश्यक है किन्तु अधी0न्याया0 को यह शक्ति है कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का हो तो अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय आदेश पारित कर सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलांटस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 गांव के राजनैतिक एवं प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर अपीलांटस की खातेदारी की आराजियात में से जबरन अविधिक तरीके से रास्ता निकाल कर अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात को दो हिस्सों में बांटने पर आमादा हो रहे है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस के पक्ष में किसी प्रकार का कोई न्यायोचित आदेश प्रदान किया गया तो अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील ही निराधार हो जायेगा । कानूनन दावा प्रस्तुति के दिन की यथास्थिति मौका पर रखी जाना अति आवश्यक है अन्यथा विवाद बढ़ने की पूरी संभावना है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित नहीं करने पर पूर्व में मान0 न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी जिसे मान0 न्यायालय ने आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि अधी0न्याया0 द्वारा एक माह में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करे किन्तु अधी0न्याया0 ने मान0 न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज कर प्रकरण में दिनांक 25.1.2016 तक किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 का जवाब भी प्रस्तुत हो चुका है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 25.1.2016 को संशोधित कर उनके समक्ष वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे अपीलांटस की खातेदारी भूमि में खड़ी फसल को नष्ट नहीं करे, रास्ता नहीं निकालें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करने के बावजूद भी प्रकरण में किसी प्रकार का कोई न्यायोचित आदेश प्रदान नहीं कर केवल मात्र तारीख पेशियां ही दी जा रही है । प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता की विधिक राय अनुसार अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 25.1.2016 के विरूद्ध अपील

प्रस्तुत की है जिसे न्यायहित में अंदर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 25.1.2016 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि अधी0न्याया0 में रेस्पो0 संख्या 1 के उपस्थित प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी पेशी दिनांक 4.2.2016 को नियत की थी । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में दिनांक 12.2.2016 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है । अपीलांटस द्वारा केवल मात्र आदेशिका दिनांक 25.1. 20196 के विरूद्ध अपील पेश की है जो आदेश की श्रेणी में नहीं आती है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अपील संख्या 4/2016/225 में पारित आदेश दिनांक 13.1.2016 द्वारा प्रकरण अधी0 न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का निस्तारण एक माह में करे । अधी0न्याया0 ने हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 13.1.2016 की पालना नहीं हुई एवं प्रकरण अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ में विचाराधीन रहते हुए अपीलांट ने यह दूसरी अपील पेश की है जो संधारण योग्य नहीं होने से खारिज योग्य पायी जाती है किन्तु पूर्व आदेश दिनांक 13.1.2016 की जब तक पालना नहीं हो जाती है तब विवादित आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना उचित समझते है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में अपील संख्या 4/2016/225 में पारित आदेश दिनांक 13.1.2016 की पालना में प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाकर एक माह में प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के निर्देश दिये गये थे जिसकी पालना एक माह की जावे तब तक विवादित आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 1.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर